

जनहित गारण्टी अधिनियम की सेवाएं :-

क्रमांक	जनहित गारण्टी अधिनियम सेवा	आहर्ता
1	Issuance of Transfer Certificate for Polytechnic Institutions Students(पॉलिटेक्निक संस्थाओं के छात्रों स्थानंतरण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना)	पाठ्यक्रम पूर्ण करने /छात्र द्वारा संस्थान छोड़ने की दशा में
2	Issuance of Migration Certificate (प्रव्रजन प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना)	छात्र द्वारा पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर
3	Return of Caution Money (काशन मनी वापस किया जाना)	पाठ्यक्रम पूर्ण करने /छात्र द्वारा संस्थान छोड़ने की दशा में
4	Issuance of Character Certificate (चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना)	पाठ्यक्रम पूर्ण करने /छात्र द्वारा संस्थान छोड़ने की दशा में
5	Decision of Provisional Mark sheet for Polytechnic Institutions Students (पॉलिटेक्निक संस्थानों के छात्रों के लिये उपबन्धित अंकपत्र पर विनिश्चय)	पाठ्यक्रम पूर्ण करने /छात्र द्वारा संस्थान छोड़ने की दशा में/परीक्षा परिणाम अंक पत्र विलम्ब होने की दशा में
6	Issuance of Diploma Certificate for Polytechnic Institution's students who have passed the Examination (पॉलिटेक्निक संस्थानों के छात्रों के लिये डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना ,जिन्होंने उत्तीर्ण परिणाम के साथ शिक्षा की हो)	पाठ्यक्रम पूर्ण करने की दशा में
7	Declaration of Scrutiny Result for Polytechnic Students (पॉलिटेक्निक छात्रों के स्क्रूटिनी के परिणाम की घोषणा)	परीक्षा परिणाम(विषय वार) में संसोधन हेतु आवेदन उपरांत
8	Declaration of Result of Back Paper Exam (बैक पेपर परीक्षा के परिणाम की घोषणा)	परीक्षा परिणाम में अनुत्तीर्ण होने पर (विषय वार आवेदन) सम्मिलित परीक्षा का परिणाम
9	Rectification of Mark Sheet (छात्रों के अंकपत्र की त्रुटियों की शुद्धता)	परीक्षा परिणाम(विषय वार) में संसोधन हेतु आवेदन उपरांत
10	Issuance of Provisional Certificate(प्रोविजिनल डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रदान करना)	पाठ्यक्रम पूर्ण करने की दशा में (मूल डिप्लोमा प्रमाण पत्र अनुपलब्धता/यदि छात्र आवश्यकता का उल्लेख कर आवेदन करता है)
11	Issuance of Duplicate Mark sheet (अनुकृति अंकपत्र प्रदान करना)	परीक्षा परिणाम अंक पत्र की मूल प्रति लुप्त हो जाने की दशा में आहर्ता :- परीक्षा परिणाम अंक पत्र की मूल प्रति लुप्त हो जाने की दशा में

आवेदन प्रक्रिया करने हेतु अहर्ताएं :

1. छात्र/छात्रा प्राविधिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित डिप्लोमा स्तरीय संस्थान में अध्ययनरत अथवा परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हो ।
2. आवेदित सेवा में दर्शाई गई आहर्ता पूर्ण करता हो ।
3. आवेदक द्वारा प्राविधिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त पंजीकरण संख्या का प्रयोग कर आवेदन किया जा सकेगा ।
4. आवेदक द्वारा आवेदन करने पर उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP प्रदान किया जायेगा ।
5. आवेदक पंजीकरण संख्या का प्रयोग कर आवेदन की स्थिति प्राप्त कर सकेगा ।
6. आवेदक एक सेवा हेतु एक बार ही आवेदन का पात्र होगा ।